

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
{समक्ष :डी.एस.मण्डलोई}

आप.प्र.क्र. : 95 / 2015
संस्थित दि: 02 / 02 / 15

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
अन्तर्गत चौकी सालेटेकरी, जिला बालाघाट (म.प्र.) अभियोगी

विरुद्ध

इस्माईल खान उर्फ मुन्ना, पिता मुनानुद्दीन, उम्र 42 साल, जाति मुसलमान,
निवासी बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 02 / 02 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) का आरोप है कि आरोपी दिनांक 18.01.2015 को समय 14:30 बजे स्थान मुन्ना ढाबा के सामने ग्राम बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा के अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 17 पांव देशी प्लेन मदिरा एवं 10 पाव गोवा विस्की, 8 पाव मेकडावेल रम् अवैध रूप से बिना आज्ञाप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र के रखे हुए पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि चौकी सालेटेकरी में पदस्थ उपनिरीक्षक मनीष मिश्रा दिनांक 18.01.2015 को हमराह स्टाप के साथ जुर्म जयराम पतासजी हेतु रवाना हुआ था तो उसे कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बहेराभाटा में रहने वाला इस्माईल खान मुन्ना ढाबा के सामने एक थैले में देशी अंगेजी शराब विक्रय हेतु रखे बैठा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह स्टाप को साथ लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ कर तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 17 पांव देशी प्लेन मदिरा एवं 10 पाव गोवा विस्की, 8 पाव मेकडावेल रम् पायी गई। आरोपी से शराब

रखने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर आरोपी ने लायसेंस न होना व्यक्त किया। बिना लायसेंस के शराब पाया जाना मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी से उक्त शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर, आरोपी के विरुद्ध शून्य पर कायमी कर असल नम्बरी हेतु थाना बिरसा भेजा जिस पर थाना बिरसा की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 9/15 की कायमी कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के तहत यह अभियोग पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(03) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाई व समझाई गई।

(04) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी दिनांक 18.01.2015 को समय

14:30 बजे स्थान मुन्ना ढाबा के सामने ग्राम

बहेराभाटा चौकी सालेटेकरी थाना बिरसा के

अन्तर्गत अपने आधिपत्य में 17 पांव देशी प्लेन

मदिरा एवं 10 पाव गोवा विस्की, 8 पाव मेकडावेल

रम् अवैध रूप से बिना आज्ञाप्ति अथवा अनुज्ञा-पत्र

के रखे हुए पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

(05) आरोपी को मेरे द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की मुख्य विशिष्टियां विरचित कर आरोपी को पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया।

(06) आरोपी द्वारा आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(07) अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आरोपी का यह प्रथम अपराध होना प्रकट

होता है। आरोपी के द्वारा अपराध की स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के फलस्वरूप आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

(08) आरोपी को आबकारी अधिनियम की धारा 34 (क) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 2000/— (दो हजार रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है।

(09) अर्थदण्ड की राशि अदा न करने के व्यतिक्रम में आरोपी को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(10) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट